रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. /2003—05

55(M) of ... 1997

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, अक्तूबर 2—अक्तूबर 8, 2016, शनिवार/आश्विन 10— आश्विन 16, 1938
No. 37] NEW DELHI, OCTOBER 2—OCTOBER 8, 2016, SATURDAY/ASVINA 10—ASVINA 16, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि.186 .—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय वेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और वैश्विक समुद्री आपदा और सुरक्षा प्रणाली लाइसेंस) नियमावली, 1997 में पुनर्संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- इन नियमों को भारतीय वेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और वैश्विक समुद्री आपदा और सुरक्षा प्रणाली लाइसेंस) संशोधन नियमावली, 2016 के नाम से जाना जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय वे ाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण-पत्र और वैश्विक समुद्री आपदा और सुरक्षा प्रणाली लाइसेंस) नियमावली, 1997 के नियम 8, उपनियम (2) में "तीन महीनों की अवधि" के स्थान पर "छः महीनों की अवधि" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. पी-14038/02/2015-सीओपी]

डी. झा, वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार

टिप्पणी:- मुख्य नियमावली दिनांक 06 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 25 जुलाई, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात दिनांक 02 मई, 2013 के सा.का.नि. 277(अ) द्वारा दिनांक 02 मई, 2013 को ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 4th October, 2016

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's certificate of proficiency and licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules 1997, namely:-

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's certificate of proficiency and licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Amendment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's certificate of proficiency and licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1997, in rule 8, in sub-rule (2), for the words "period of three months", the words "period of six months" shall be substituted.

[No. P-14038/02/2015-COP]

D. JHA, Sr. Dy. Wireless Adviser

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R., 133, dated the 6th July, 1998, published in the Gazette of India, dated the 25th July, 1998 and subsequently amended vide G.S.R. 277(E) dated the 2nd May, 2013 published in the Gazette of India dated the 2nd May, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.13 11:33:28 +05'30'